6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त स्कूली शिक्षा की गारण्टी दी गयी है। लगभग हर बच्चे का दाखिला हुआ, तो भी उनमे से आधे बच्चों की अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पूर्व ही स्कूल छोड़ देने की सम्भावना बनी रहती है। यह स्थिति भारतीय राज्यों में स्कूल प्राधिकारियों द्वारा दलित आदिवासी तथा मुस्लिम बच्चों के साथ किये जा रहे भेदभाव का लेखाजोखा बयान करती है जिससे शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य पूरा नही हो पाता है। मानवाधिकार की इस रिपोर्ट की लेखिका जयश्री बजोरिया का कहना है कि हाशिये पर खड़े इन बच्चों को प्रोत्साहित करने की बजाय अध्यापक उनकी उपेक्षा करते हैं और उनसे दुर्व्यवहार करते हैं।

आज संवैधानिक गारण्टी तथा भेदभाव के विरुद्ध कानूनों के बावजूद भारत में हाशियें पर रह रहे लोग समूह भेदभाव का शिकार होकर उपयुक्त शिक्षा प्राप्त नही कर पा रहे हैं। स्कूल के प्राधिकारी जाति, नस्ल, धर्म अथवा लिंग के आधार पर पुरातन समय से चले आ रहे भेदभावपूर्ण आचरण का समर्थन करते हुए दलित आदिवासी तथा मुस्लिम समुदाय के बच्चों को प्रायः कक्षा में सबसे पीछे या अलग कमरे में बैठने को कह देते हैं। उन्हे अपमानजनक नामों का प्रयोग करके बेइज्जत किया जाता है, भोजन भी आखिरी में परोसा जाता है, जबकि पारम्परिक रुप से विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के बच्चों से ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है।

Scanned with CamScanner

शिक्षा का निजीकरण
(Privatization of Education)

शिक्षा राष्ट्र का उत्तरदायित्व है तथा सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी साधन है। जिन देशों ने शिक्षा के महत्व को पहचाना उन्होंने विकास के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। सुनियोजित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षार्थियों के सांस्कृतिक, भावात्मक नैतिक, बौद्धिक शारीरिक व सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

शिक्षा की बिगड़ती दशा को सुधारने का प्रयास देश में लगातार हो रहा है। कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है इन योजनाओं के फलस्वरूप पिछले दशकों की तुलना में ~~साक्षरता~~ साक्षरता दर में आशातीत वृद्धि हुई है परन्तु आज भी सरकार द्वारा इन समस्त दायित्वों को वहन करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

'उच्च शिक्षा' के विकास की ओर दृष्टि डालें तो इस क्षेत्र में राधाकृष्णन् आयोग (1964) की अहम् भूमिका रही है। आज की तारीख में देश में लगभग 300 विश्वविद्यालय फैले हुए हैं जिनमें 1 करोड़ से ऊपर विद्यार्थी उच्च शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। परम्परागत विश्वविद्यालयों के अलावा लाखों छात्र दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी अध्ययनरत हैं परन्तु नियोजन की दृष्टि से विश्वविद्यालय की डिग्रियों के घटते महत्व के चलते महाविद्यालयों में शिक्षार्थियों की उपस्थिति में भारी गिरावट देखने को मिलती है तथा बढ़ती बेरोजगारी के चलते उच्च शिक्षा दिशा-विहीन बन गई है उसके प्रति आकर्षण भी कम हो गया है। यद्यपि उच्च शिक्षा के क्षेत्र के बजट का लगभग 90% भाग सरकार वहन करती है फिर भी अच्छे वेतन भोगी शिक्षकों की उदासीनता किसी से छिपी नहीं है। यह ऐसा माना जाने लगा है कि विश्वविद्यालय डिग्री बाँटने का केन्द्र बनकर रह गये हैं अतः विकल्प के रूप में निजीकरण को मात्र बढ़ावा देना देश के लिए आवश्यक हो गया है।

Scanned with CamScanner